बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि १३ दिसम्बर, १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीपनारायण सिंह—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के षष्टम् सत्र के १५१ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा के मेज पर रखता हूं। शेष लंबित प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराए जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्यों के नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री रामानन्द तिवारी	४, २८६, ७२६, १०३४, ११०४, १२३१।
२	श्री कर्पूरी ठाकुर	१५, ५६, ३६०, १३५४।
३	श्री रामानन्द सिंह	७४, ३४१, ७५५।
४	श्री एस० के० बागे	१२१, २४७, ६९५, १०३०, १२५२, १२६८, १७३७।
५	श्रीमती बनारसी देवी	११०, १२१७, १३३६।

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त किरानी को उचित मभी सुविधायें देना चाहती है और जिसके कारण उन्हें परेशान होना पड़ा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का विचार करती है ?

श्री जगत नारायण लाल--(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) सस्पेन्सन की अवधि में जब श्री विशेश्वर प्रसाद को दूसरी नौकरी मिल गई और उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो मंत्री ने उनकी गरीबी का ख्याल करते हुए उनके अपराधों को माफ कर दिया और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया।

(३) उत्तर नकारात्मक है। सस्पेन्सन की अवधि का तलब दिया जाय या नहीं यह अभी विचाराधीन है।

(४) उपर्युक्त उत्तर के बाद प्रश्न नहीं उठता है।

मंत्री और खजांची के विरुद्ध कार्रवाई।

११३१। श्री सभापति सिंह--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिला के महराजगंज ईख क्रय-विक्रय संघ के मंत्री तथा खजांची के जिम्मे अठारह हजार कैश बैलेंस है जबकि किसानों को संघ के द्वारा दिया जाने वाला ईख का दाम नहीं दिया जाता है, जैसे संघ के सदस्य श्री द्वारिका सिंह तथा ग्राम सिसई के श्री ध्रुवनारायण सिंह का रुपया बाकी है ;

(२) क्या यह बात सही है कि कैश बुक में जो १८,००० रुपए बैलेंस हैं वे किसी खजाने या पासबुक में नहीं हैं तथा उसे मंत्री और खजांची मिल कर खा गये हैं ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर हां में हैं, तो सरकार मंत्री और खजांची के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है ?

श्री जगत नारायण लाल--(१) उत्तर नकारात्मक है।

श्री द्वारिका सिंह तथा श्री ध्रुवनारायण सिंह सिसई समिति के सदस्य को ईख के मूल्य के रूप में संघ से कुछ भी पावना नहीं है। तहवील में ठीक १८,००० रुपया किसी तिथि को संघ में नहीं था। ईख सिजन चलते समय १८,००० रुपया से भी अधिक तहवील समय-समय पर हो गया था। तिथि २८ नवम्बर १९५९ को १४,६२३ रु० ८९ नये पैसे तहवील में थे। जिसमें--

(क) वैतनिक खजांची के जिम्मे	..	१०,६११ रु० ९१ नये पैसे।
(ख) भूतपूर्व मंत्री के जिम्मे	..	१,८१५ रु० ०३ नये पैसे।
(ग) वर्त्तमान मंत्री के जिम्मे	..	२, १९६ रु० ९५ नये पैसे।
	कुल	१४, ६२३ रु० ८९ नये पैसे।

(२) १८,००० रुपये तहवील में नहीं हैं। लेकिन संघ के तहवील में २८ नवम्बर १९५९ को १४,६२३ रु० ८९ नये पैसे थे, जिसमें से वैतनिक खजांची के पास १०,६११ रु० ९१ नये पैसे, भूतपूर्व मंत्री के पास १,८१५-०३ नये पैसे और वर्तमान मंत्री के पास २,१९६ रु० ९५ नये पैसे थे। वर्त्तमान मंत्री ने २,१९६ रु० ९५ नये पैसे में से १,८१६ रु० ८६ नये पैसे ईख का दाम भुगतान करने में बाट दिया है। अब कुल ३७७ रु० ०९ नये पैसे उनके पास हैं। वैतनिक खजांची और भूतपूर्व मंत्री के जिम्मे जो तहवील है वह भी किसी खजाने या पासबुक में नहीं रखा गया है।

(३) वैतनिक खजांची पर रुपये वसूली के लिये संघ ने एवार्ड की कार्रवाई का आवेदन कर दिया है जिसपर अंचल सहायक निबंधक द्वारा प्राथमिक कार्रवाई की जा चुकी है। वर्त्तमान मंत्री के जिम्मे अब ३७७ रु० ९ नये पैसे मात्र हैं जो नियमानुसार अधिक नहीं हैं। भूतपूर्व मंत्री से रुपये वसूल करने के लिये संघ को प्रेरित किया जा रहा है तत्काल सरकार कोई विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं समझती है।

श्री बालकेश्वर सिंह के विरुद्ध आरोप।

११५०। श्री प्रियव्रत नारायण सिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया जिला के नवीनगर थाना अन्तर्गत मौजा करमाल हंग के ग्रामीणों ने स्थानीय निम्न प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्री बालकेश्वर सिंह के विरुद्ध एक दरखास्त गया जिला शिक्षा अधीक्षक के पास ५ अगस्त, १९५८ को दी थी;

(२) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने ३ दिसम्बर १९५८ को उस दरखास्त को औरंगाबाद के अवर प्रमंडलीय शिक्षा अधिकारी (एडुकेशन एस० डी० ओ०) के पास भेजवा दिया और उन्होंने २० फरवरी १९५९ को औरंगाबाद (गया) के डिप्टी इन्सपेक्टर के पास उस दरखास्त को जांच करने के लिये भेज दिया;

(३) क्या यह बात सही है कि डीपुटी इन्सपेक्टर ने २५ जुलाई, १९५९ को जांच की और शिक्षक को निर्दोष पाकर ५ अगस्त १९५९ को रिपोर्ट भी कर दी;

(४) क्या यह बात सही है कि श्री बालकेश्वर सिंह, शिक्षक, निम्न प्राथमिक विद्यालय, करमालहंग, डाकघर टडवा, थाना नवीनगर, जिला गया, का वेतन अगस्त, १९५७ ई० से लगायत ३० जून, १९५८ तक का नहीं मिला जबकि स्थानीय स्कूल सब-इन्सपेक्टर श्री चन्द्रिका तिवारी ७ जुलाई १९५८ को बिल स्वीकृत (पास) कर भुगतान के लिये ऊपर भेज दिये हैं;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शिक्षक को शीघ्र से शीघ्र वेतन चुकती कर देने का विचार करती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) श्री बालकेश्वर सिंह, शिक्षक, निम्न प्राथमिक विद्यालय, करमालहंग (गया) के विरुद्ध जनता ने कोई दरखास्त दी थी ऐसा पता नहीं चलता।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

(३) उत्तर नकारात्मक है।